असंशोधित

2 1 JUN 2004

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

बि० स० मु० (एम० ए०) 86—मोनो—1000—16-3-2002—,

द्वादश विधान सभा / सोमवार,तिथि २१ जून,२००४ ई०

चतुर्दश सत्र

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय -११.०० बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(इस अवसर पर भाकपा माले,जदयू, एवं भाजपा के माननीय सदस्यगण कुछ नारे लगाते हुए सभा वेश्म में चले आये)

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल शुरू होगा, बैठ जाईये । इस तरह से नहीं कीजिये । प्रश्नोत्तरकाल चलने दीजिये ।

(व्यवधान)

नेता प्रति पक्ष,आप कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन पढ़िये । .. प्रश्नोत्तर काल चलने दीजियेगा कि नहीं ?

(व्यवधान)

बैठिये । अपनी-अपनी जगह पर बैठिये । .. बैठिये आपलोग, अपनी-अपनी जगह पर बैठिये । बैठिये न । सारी बातें सुनी जायेंगी । हम सुनेंगे, बैठिये तो । यह अच्छी बात नहीं है । बैठिये न अपनी-अपनी जगहों पर । जीरो आवर में सुनेंगे,बैठिये न । अपनी-अपनी जगह पर बैठिये । कह दीजिये तो प्रश्नोत्तर काल बंद कर दें । आप ही लोगों का है । सुनने के लिये १२ बजे है न । प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिये । बहुत महत्वपूर्ण है । ... जनता की समस्याओं के निदान का सवाल है । प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिये । बड़ा महत्वपूर्ण है ।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर काल अति महत्वपूर्ण है । इसको चलने दिया जाय । मेरी विनती है, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिये । आप बैठिये तो ।

(व्यवधान)

ऐसे नहीं होगा न । कोई बात लिखी नहीं जायेगी, कोई बात नहीं आयेगी ।

(व्यवधान)

बैठिये, अपनी जगह पर । प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिये । जगह पर जाईये । जाईये । प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिये । जगह पर जाईये । जाईये । प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिये ।

प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिये ।

(व्यवधान)

संसदीय परम्पराओं के अधीन सारी बातों को कहने का अधिकार है लेकिन आपलोगो अपनी-अपनी सीटों पर बैठकर कहें, इस तरह की बात से न तो जनता का कल्याण होगा और न आपलोगों की कोई बात होगी, न समस्याओं का निदान होगा । सारी बातें नहीं हो पायेंगी । ...

(व्यवधान)

बैठिये न । बैठिये अपनी जगह पर । बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

(व्यवधान)

टर्न-०३/२१.०६.०४ (स्थगन के बाद) 3
सच्चिदा ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, नेता विरोधी दल: महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

डा० राम चन्द्र पूर्वे,मंत्री महोदय, पहले सदन को ऑर्डर में किया जाय ।

(व्यवधान)

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

डा० रामचन्द्र पूर्वे,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" तिथि २१ जून,२००४ के कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।"

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

' सोमवार दिनांक २१ जून,२००४ के कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो । कार्य मंत्रणा समिति ने निम्न सिफारिशें की हैं :

१. सोमवार दिनांक २१ जून,२००४ के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष २००४-२००५ के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण का उपस्थापन वृहस्पतिवार दिनांक २४ जून, २००४ को हो तथा इस पर कटौती का प्रस्ताव ३.०० बजे अपराह्न तक लिये जाये ।

२. वृहस्पतिवार दिनांक २४ जून,२००४ के लिए निर्धारित प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का व्यवस्थापन शुक्रवार दिनांक २५ जून,२००४ को हो ,

३. शुक्रवार दिनांक २५ जून,२००४ के लिए निर्धारित गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) वृहस्पतिवार दिनांक २४ जून,२००४ को लिये जायें ।

४. शनिवार, दिनांक २६ जून,२००४ को सभा की बैठक ९.०० बजे पूर्वाह्न से हो । ९.०० बजे पूर्वाह्न से प्राप्त राजकीय विधयकों का व्यवस्थापन हो ।

तत्पश्चात् लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या ४३९ (राजस्व विभाग से सम्बन्धित) पर विमर्श हो ।

शेष कार्य यथावत् रहेंगे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई ।

(इस अवसर पर विरोधी दल के सभी माननीय सदस्य वेल में चले आये)

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना ।

श्री प्रदीप कुमार दास: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष २००३-०४ के लिए गठित निवेदन समिति का प्रतिवेदन संख्या ५४ वां, ५५वां, एवं ५६ वां की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

कार्य स्थगन सूचना ।

उपाध्यक्ष : आज दिनांक २१.०६.०४ के लिए निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें दी गयी हैं । सूचनायें संक्षेप में निम्न प्रकार है :

१. श्री उदय नारायण चौधरी	- सीवान जिला के भंटा पोखर पंचायत के मुखिया हरेन्द्र भक्त कुशवाहा की अपराधियों द्वारा हत्या कर दिये जाने के संबंधमें
२. श्री विनोद कुमार सिंह	- राज्य के ट्रेनों में चोरी, डकैती तथा हत्या जैसी घटनाओं के संबंध में ।
३. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह	- सीवान जिलान्तर्गत बसंतपुर, भगवानपुर हाट तथा लकडी, नबीगंज के खराब पड़े चापाकल की मरम्मती कराने के संबंध में ।
४. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	- सारण जिला के ८५ एकड़ जमीन पर बने आवासीय कॉलोनी मे नाला पेयजल आदि की व्यवस्था करने के संबंध में ।
५. श्री दिलीप वर्मा	- पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत मैनाटाड़, सिकटा आदि प्रखंड सहित पूरे राज्य में अन्नत्योदय एवं अन्नपूर्णा के तहत मिलने वाला गेहूँ तथा चावल का कालाबाजारी के संबंध में ।
६. श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा	- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्वतंत्र छात्रों को अविलम्ब प्राप्तांक उपलब्ध कराने के संबंध में ।
७. श्री सत्यदेव राम :	- सीवान जिला में लगातार हत्या एवं अपहरण की घटनायें बेरोक-टोक घटने के संबंध में

उपाध्यक्ष- ये सात कार्य-स्थगन-सूचनायें आसन को प्राप्त हुई हैं । जहां तक हत्याओं से संबंधित प्रश्न हैं, आरक्षी विभाग पर इसके डिमांड पर आज सदन में बहस है। माननीय सदस्य सीवान के मामले या राज्य के किसी भी हिस्से के कानून-व्यवस्था के संदर्भ में अगर सरकार की कोई विफलता हो तो उस पर विचार में भाग ले सकते हैं । आज चूंकि आरक्षी विभाग का डिमांड है और आज एक सत्र में जब वह डिमांड का विषय है, मतदान है । अतः इस कार्य-स्थगन-प्रस्तावों को लेना नियम और प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। इसलिए माननीय सदस्यगण इस पर आरक्षी विभाग में बहस में भाग ले सकते हैं । आसन ने इन तमाम कार्य-स्थगन-प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया है ।

<u>याचिकाओं का उपस्थापन</u>

सभा सचिव : श्रीमन्, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २६७ के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि भिन्न-भिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार कुल १६ (सोलह) याचिकायें प्राप्त हुई हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष - माननीयगण सदस्यगण, आपलोग अपने-अपने स्थान पर जायें । माननीय नेता,विरोधी दल,आप सारी बातें समझते हैं। आसन नियम और प्रक्रियाओं से बंधा हुआ है । आप सारी बातें जानते हैं । उसके संबंध में अपने तरीके से नियम-प्रक्रिया को अपनाकर आप उसको कर सकते हैं और जो हत्या के मामले हैं तो आज आरक्षी विभाग का बजट है उस में आप भाग ले सकते हैं ।

(व्यवधान)

<u>शून्यकाल</u>

उपाध्यक्ष - १.श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह २. श्रीमती भागीरथी देवी ३. श्री गणेश पासवान

श्री गणेश पासवान - उपाध्यक्ष महोदय, योगेन्द्र पासवान, ग्राम काजीचक एवं दिलीप पासवान ग्राम चमगरा जिला मुंगेर के दोनों ए०एस०आई० थे । दोनों की मृत्यु क्रमशः मोतिहारी जिला बल में एवं लोक सभा चुनाव ड्यूटी के दौरान सासाराम में हुई । लेकिन इनके परिवार का कोई लाभ नहीं मिला है ।

अतः सरकार दोनों मृतकों के परिवार को लाभ एवं अनुकम्पा पर नौकरी प्रदान करें ।

(व्यवधान)

डा० रामचन्द्र पूर्वे,मंत्री - उपाध्यक्ष महोदय, क्या इनको संसदीय जनतंत्र पर यही विश्वास है ? आज गृह विभाग के डिमांड पर वाद-विवाद होने वाला है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष - ४.श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो ५. श्री भाई वीरेन्द्र ६.श्री रामनाथ ठाकुर ७ श्री राजनतिवारी, ८. श्री विनोद कुमार सिंह ९.श्री रामधनी सिंह १०.श्री उदय नारायण चौधरी ११.श्री रामाशीष यादव १२.श्री उमाकांत यादव १३.श्री सत्यदेव राम १४.श्री राम प्रवेश राय एवं १५. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय शून्यकाल पढ़ने के लिए एक-एक कर सभी माननीय सदस्यों के नाम पढ़े । लेकिन मा०स० श्री गणेश पासवान को छोड़कर कोई माननीय सदस्य अपने शून्यकाल को नहीं पढ़े ।)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष- माननीय सदस्यगण, ध्यानाकर्षण-सूचनायें ५.०० बजे लिये जायेंगे ।
अब सभा की कार्यवाही २.०० बजे अप०तक के लिए स्थगित की जाती है।

अन्तराल